



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17032022-234261
CG-MH-E-17032022-234261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1147]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

No. 1147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1187(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'च' की उप-धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में "इटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाइन को विशेष रेल परियोजना" की बाबत ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अपर जिलाधिकारी, नागपुर	नागपुर

[फां. सं.AQ/ET-NGP/तीसरी लाइन/20F/मार्च/II]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2022

S.O. 1187(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of **Itarsi - Nagpur 3rd line** in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S. No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Collector, Nagpur	Nagpur

[F. No. AQ/ET-NGP/Third Line/20F/March/I]

MANOJ SHARMA, Chief Admin. Officer (Construction)